


कार्यालय अधिष्ठाता,  
पं.ज.ने. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)  
चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर छ.ग. में संविदा द्वारा वाक इन इन्टरव्यूह के माध्यम से भरे जाने  
वाले रिक्त पद

समय :- कार्यालयीन अवधि में स्थान:- अधिष्ठाता कक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

क्रं.	पद का नाम (संविदा)	विभाग का नाम	रिक्त पद	साक्षात्कार तिथि
1.	प्राध्यापक, एम.एस.सी. बायोटेक्नालॉजी,	बायोकेमेस्ट्री	01	24 मई 2016
2.	सह प्राध्यापक	एनाटामी	03	
फिजियोलॉजी		01		
बायोकेमेस्ट्री		01		
फार्माकोलॉजी		01		
फॉरेंसिक मेडिसीन		02		
मेडिसीन		01		
टी.बी. एण्ड चेस्ट		01		
शिशुरोग		01		
सर्जरी		01		
अस्थिरोग		01		
प्रसूति एवं स्त्रीरोग		01		
रेडियाडायग्नोसिस		01		
दंतरोग		01		
रेडियोथेरेपी		01		
3.		व्याख्याता, स्पीच पैथालॉजिस्ट (बी.ए.एस.एल.पी)	व्याख्याता	
स्पीच पैथालाजिस्ट /आयोडिलाजिस्ट ग्रेड-1	02			

1. नियम एवं शर्तें प्रतिमाह आयोजित होने वाले वाक इन इन्टरव्यूह की भांति रहेगा।
2. पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है।
3. छ.ग. शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों के अनुसार ही रिक्त पदों को भरा जावेगा।
4. विस्तृत जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट [www.ptjnmcraipur.in](http://www.ptjnmcraipur.in) में देखी जा सकती है।
5. अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

  
अधिष्ठाता

पं.ज.ने.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय  
रायपुर छ.ग.



## वाक-इन-इन्टरव्यूह के लिये नियमावली :-

1. शैक्षणिक योग्यता - भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. के साथ एम.डी./एम.एस./डी.एम./एम.सी.एच. की उपाधि तथा छत्तीसगढ़ चिकित्सा परिषद् में पंजीयन अनिवार्य ।
2. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण में एम.बी.बी.एस. के सभी वर्षों की अंकसूची, डिप्लोमा की अंकसूची/स्नातकोत्तर डिग्री की सत्यापित फोटो कॉपी संलग्न करें।
3. संबंधित विषय में अतिरिक्त अधिक योग्यता व राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशन की सत्यापित फोटो कापी संलग्न करें।
4. सक्षम अधिकारी द्वारा आवेदक/आवेदिका का छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र।
5. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों के साथ जन्मतिथि हेतु 10+2 (10वीं) का प्रमाण पत्र।
6. अभ्यर्थियों की सेवा छत्तीसगढ़ संविदा भर्ती नियम 2012 व एम.सी.आई. के मापदण्डों द्वारा बाधित होगी।
7. आरक्षण केवल छत्तीसगढ़ के लिये अधिसूचित राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर) के आवेदकों हेतु वर्तमान में प्रचलित आरक्षण नियम लागू होगी, इसके अतिरिक्त अन्य प्रदेश के आवेदकों को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा संलग्न करें। बिना सत्यापन के प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। उम्मीदवारों की संविदा नियुक्ति उक्त पदों पर एक वर्ष की अवधि या नियमित पदोन्नति होने पर जो पहले हो तक की जावेगी।
8. शासन के नियमानुसार आरक्षण का पालन किया जावेगा।
9. रिक्त पदों के लिये शासन द्वारा निर्धारित समेकित वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा। नियुक्ति हेतु सभी श्रेणी के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा संविदा भर्ती नियम 2004 के अनुरूप होगी। आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही मान्य होंगे। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, एवं अन्य समस्त आवश्यक समस्त प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
10. पूर्व संस्थान का कार्यमुक्त आदेश तथा वर्तमान में कार्यरत संस्था द्वारा (शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी) जारी नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है, एवं प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदन अमान्य किये जायेंगे। आवेदक आवेदन के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि विज्ञापन के अनुरूप वे सभी आवश्यक अर्हताएँ एवं शर्तें पूर्ण करते हैं। आवेदक का जीवित पंजीयन/राज्य चिकित्सा परिषद् में जीवित पंजीयन अनिवार्य है। चयन की भर्ती प्रक्रिया छत्तीसगढ़ शासन के संविदा भर्ती नियम 2004 एवं एमसीआई के प्रचलित वर्तमान मापदण्डों से बाधित पदों की संख्या परिवर्तनीय है (आवश्यकतानुसार पदों की संख्या कम अथवा ज्यादा हो सकती है)।
11. साक्षात्कार के समय सभी संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा संलग्न प्रमाण पत्रों का मूल प्रमाण पत्र से सत्यापन (Verification) नहीं हो पाने की स्थिति में आवेदन अमान्य किया जावेगा।
12. किसी विवाद की स्थिति में अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर छ.ग. का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
13. उक्त रिक्त पदों पर चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में कार्यरत संविदा पात्र अधिकारियों को नियमानुसार चयन में प्राथमिकता दी जावेगी।

अधिष्ठाता

पं.ज.ने.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय  
रायपुर छ.ग.